अधिसूचना संख्या 189/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1976(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ 406(ई) दिनांक 09.03.2012 द्वारा, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 9 पर, "वाणी, डेफ चिल्ड्रेन फाउंडेशन, 9डी, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, 68 बल्लीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019" द्वारा "बधिर बच्चों, उनके परिवारों और बधिर बच्चों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए व्यापक सेवाएं" को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 2.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत 2.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 3.35 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 2.90 करोड़ रुपए से संशोधित कर 3.35 करोड़ रुपए करने की एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, (क) एतद्द्वारा, "बधिर बच्चों, उनके परिवारों और बधिर बच्चों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए व्यापक सेवाएं" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "वाणी, बधिर बच्चों की फाउंडेशन, 9डी, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, 68 बल्लीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता - 700019" द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए किया जा रहा है;

(*ख*) उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ. 406(ड़) दिनांक 09.03.2012 को आगे निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत अधिकतम राशि से संबंधित, क्रम संख्या 9 के समक्ष तालिका में, कॉलम (4) में, "2.90 करोड़ रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्द के स्थान पर "3.35 करोड़ रुपए" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

■■